न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/83/2025	2025/	23.09.2025	24.09.2025

1– रूपराम पुत्र सोहनराम जाति बलाई निवारी गढी सवाईराम तहसील राजगढ जिला अलवर। (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 नामान्तरण संख्या 4724 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, को निरस्त किये जाने बाबात।

उपस्थित–

01. श्री अशोक कुमार (प्रथम) **–वकील अपीलान्ट**

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 नामान्तरण संख्या 4724 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी अपीलान्ट ने वेयर हाउस प्रयोजनार्थ भूमि का रूपान्तरण कराने हेतु तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष भू–समपरिर्वतन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की जॉच की जाकर विधिवत कार्यवाही की जाकर कार्यवाही पूर्ण कर तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा मिन अपीलान्ट के पक्ष में वर्णित आराजी की कृर्षि भूमि वेयर हाउस प्रयोजनार्थ सपपरिवर्तन/2023/06/ दिनाक 14.12.2023 जारी किया गया। मिन अपीलान्ट द्वारा भूमि वेयर हाउस सपरिवर्तन का नोट राजस्व रिकार्ड में लगवाने हेतु तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा वेयर हाउस समपरिर्वतन का नोट राजस्व रिकार्ड में नही लगाकर आराजी खसरा न0 2341/2447/1 रकबा 0.72 है0 नामान्तकरण संख्या 4724 दिनाक 18.12.2023 पर दर्ज कर दिया, जबकि वेयर हाउस प्रयोजनार्थ समपरिर्वतन का नोट जमाबन्दी में लगायां जाना चाहिए था। आराजी खसरा न0 2341/2447/1 रकबा 0.72 है0 मिन अपीलान्ट की कब्जेकाश्त की आराजी रही है, मिन अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि वेयर हाउस हेतु अपनी आराजी की भूमि सपरिवर्तन कराया गया, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा भूमि वेयर हाउस प्रयोजनार्थ समपरिवर्तन का नोट राजस्व रिकार्ड में नही लगाकर संपरिवर्तन का नामान्तकरण खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश खिलाफ कानून व मौका व प्रतिवादित न्यायिक सिद्धान्तो व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो व राजस्थान भू0 राजस्व अधिनिमय के विपरित पारित किया गया है। पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 06.08.2025 को जब मिन अपीलान्ट राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तो उक्त गलत नामान्तकरण की जानकारी हुई जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट द्वारा दिनाक 06.08.2025 को राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु आवेदन किया गया। तहत अदालत के समक्ष रिकार्ड दुरूस्त कराने का निवेदन किया गया, लेकिन तहत अदालत के द्वारा रिकार्ड दुरूस्त कराने में असमर्थता जाहिर करते हुऐ दुरूस्त कराने से मना कर दिया गया। जिससे अविलम्ब ही अपील अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

मियाद अधिनियय 1963 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से सलग्न कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्टान की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 18.12.2023 के विरूद्व दिनाक 12.08.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 2 वर्ष पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.12.2023 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 06.08.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी वेयर हाउस प्रयोजनार्थ भूमि का रूपान्तरण कराने हेतु पेश किया गया। जिस पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की जॉच की जाकर विधिवत कार्यवाही की जाकर कार्यवाही पूर्ण कर तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित आराजी का वेयर हाउस प्रयोजनार्थ सपपरिवर्तन/2023/06/ दिनाक 14.12.2023 जारी किया गया। मिन अपीलान्ट द्वारा भूमि वेयर हाउस सपरिवर्तन का नोट राजस्व रिकार्ड में लगवाने हेतु तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा वेयर हाउस समपरिर्वतन का नोट राजस्व रिकार्ड में नही लगाकर आराजी खसरा न0 2341/2447/1 रकबा 0.72 है0 नामान्तकरण संख्या 4724 दिनाक 18.12.2023 पर दर्ज कर दिया, जबकि वेयर हाउस प्रयोजनार्थ समपरिर्वतन का नोट जमाबन्दी में लगाया जाना चाहिए था। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया गया की प्रकरण में वर्णित आराजी का वेयर हाउस प्रयोजनार्थ सपपरिवर्तन/2023/06/ दिनाक 14.12.2023 जारी किया गया। लेकिन मौके पर सपपरिवर्तन आदेश में वर्णित शर्तो के वेयर हाउस का निर्माण आदिनाक तक नही किया गया है, अर्थात जिस प्रयोजन के हेतु भूमि संपरिवर्तन की गयी है, मौके पर निमयानुसार नियत समयावधि में कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु प्रयोजन में नही ली गयी है, उक्त प्रकरण में वर्णित शर्तो की पालना नही की गयी है, ऐसी स्थिति में जारी संपरिवर्तन आदेश के बिन्दू संख्या 10 में वर्णित शर्त संख्या (3), (4) की अवहेलना की गयी है, जिसके कारण संपरिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त हो चुका है, जैसा की शर्तो में वर्णित है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक दिनांक 18.12.2023 नामान्तरण संख्या 4724 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2023 नामान्तकरण संख्या 4724 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर खारिज किया जाता है, प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर विधिक प्रावधानुसार अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार हो, बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा
जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज०)
सत्यमेव जयते